झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1760 वर्ष 2020

दशमी देवी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।

2. उपायुक्त, राँची।

3. भू–अर्जन अधिकारी, राँची।

4. अंचलाधिकारी, नामकुम।

5. एफ0ए0 और सी0ए0ओ0 के प्रबंधक, दक्षिण पूर्वी रेलवे, गार्डन रीच, कोलकाता।

6. दक्षिण पूर्व रेलवे, राँची के मंडल प्रबंधक।

7. इलेक्ट्रिक उपकरण फैक्ट्री द्वारा प्रबंधक, टाटीसिल्वे, राँची।

.... उत्तरदाता गण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री मोहन कु0 दुबे, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 1 से 4 के लिए :– श्री गौरव राज, ए0ए0जी0–II के ए0सी0

उत्तरदाता सं0 6 एवं 7 के लिए :– श्री गौतम राकेश, अधिवक्ता

07 / 04.01.2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से ली गई है।

वर्तमान रिट याचिका को संचालित करते समय याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना को उत्तरदाता रेलवे अधिकारियों पर मौजा–हरातु, खाता सं0–60, प्लॉट सं0–565, थाना संख्या–175 (नामकुम), जिला–राँची में 76 एकड़ भूमि पर याचिकाकर्त्ता के कब्जे को पुनःस्थापित करने तक सीमित कर लिया है।

याचिकाकर्त्ता का मामला यह है कि उसका पूर्वज, मौजा–हरातु, खाता सं0–60, प्लॉट सं0–393, 394, 565 और 566 के लगभग 2.40 एकड़ के क्षेत्र की भूमि का काश्तकार है। उक्त भूमि के 2.40 एकड़ में से 1.64 एकड़ की सीमा तक का एक हिस्सा राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री, टाटीसिल्व, राँची (तत्कालीन बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की एक इकाई) के लिए अधिग्रहित किया गया था। याचिकाकर्त्ता को 9 मई, 2018 के पत्र के माध्यम से उक्त कारखाने के कार्यालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी कि कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मौजा–हरातु, खाता सं0–60, प्लॉट सं0–393, 394, 565 और 566 से संबंधित 1.64 एकड़ जमीन को छोड़कर कोई अन्य जमीन अधिग्रहित नहीं की गई थी। याचिकाकर्त्ता ने जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी–सह–लोक सूचना अधिकारी, राँची द्वारा 14 जुलाई, 2017 के पत्र संख्या 1092 में दी गई जानकारी पर भी भरोसा किया है, जिसमें बताया गया है कि 1.44 एकड़ में से केवल 0.68 एकड़ जमीन खाता सं0–60, मौजा–हरातु के तहत प्लॉट सं0–565 से संबंधित वाद संख्या–33/1962–63 के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता की शिकायत यह है कि भूमि का बाकी हिस्सा यानी 1.44 एकड़–0.68 एकड़ = .76 एकड़ उसे वापस किया जाना चाहिए।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिट याचिका के विषय वस्तु का अध्ययन किया।

याचिकाकर्त्ता ने रिट याचिका में दावा किया है कि उनके पूर्वजों का नाम अधिकार अभिलेख में विचाराधीन भूमि के रैयत के रूप में उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्त्ता द्वारा विशेष रूप से रिट याचिका के पैरा 10 में यह भी कहा गया है कि रेलवे प्राधिकरण ने संबंधित मौजा की लगभग 76 दशमलव भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हालांकि याचिकाकर्त्ता द्वारा यह विशेष रूप से नहीं कहा गया है कि कब रेलवे अधिकारियों ने याचिकाकर्त्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार, भूमि के उक्त हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर, खाता सं0–60 मौजा–हरातु की भूमि को राज्य सरकार ने वर्ष 1962–63 में लगभग छह दशक पहले अधिग्रहित किया था। इसलिए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका पर इतनी देरी के बाद सुनने हेतु इच्छुक नहीं हैं जो अन्यथा सामान्य प्रकृति का है।

तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(राजेश शंकर, न्याया0)